महिलाओं के विरूद्ध हिंसा एवं महिला अधिकारों का सामाजिक आर्थिक स्तर के परिप्रेक्ष्य में समाजशास्त्रीय अध्ययन

निकिता चतुर्वेदी
शोधार्थी भारती विश्वविद्यालय दुर्ग

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर महिलाओं की प्रति हिंसा एवं संवैधानिक अधिकारों का अध्ययन करना है। शोध कार्य वर्णनात्मक (सर्वेक्षण) शोध कार्य विवरण पर आधारित है। नगर पालिका के लिए नामांकित 13 वार्डों में महिलाओं की कुल संख्या 9,364 है। आँकड़ों के सकलन के लिए सुविधायुक्त न्यायदर्श के आधार पर 500 परिवारों में से केवल 100 परिवारों में से 100 महिलाओं का चयन निर्माता विधि के द्वारा किया जाता है। प्राथमिक स्रोत में प्रश्नावली एवं द्वितीयक स्रोत में पाठ्य-पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, एवं रिपोर्ट आदि के उपयोग से आंकड़ों का एकीकरण किया जाता है। शोध अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर पता चला है, कि महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा के प्रति 18 से 23 वर्ष की महिला और अधिक जागरूकता के साथ आधारभूत जाति की महिलाओं में अधिक साख पाई गई। ब्रह्मचर्य महिलाएँ महिलाओं के प्रति वाली हिंसा एवं उनके अधिकार के लिए होने वाली अधिक जाँच पड़ताल। मान्यता से स्नातक स्तर की महिलाओं में हिंसा एवं अधिकार को लेकर अधिक जागरूकता है। शिक्षण कार्य कर रही महिलाओं का अधिक सार्थक दृष्टिकोण है। सामान्य स्तर की मासिक आय करने वाली परिवार की महिलाओं में अधिक जागरूकता प्राप्त हुई।

मुख्य बिंदु- सामाजिक आर्थिक स्थिति एवं महिला हिंसा, अधिकार।

प्रस्तावना

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। 3 (56)

मनुस्मृति के अध्याय 3 के 56 वें श्लोक में नारियों के गौरवपूर्ण स्थान को बताया गया है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वही देवताओं का निवास होता है। वर्तमान समय मे तेजी से बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के कारण महिलाओं की स्थिति दयनीय हो गयी है। प्रबुद्ध पुरूष समाज की आदतों, मानसिक वृतियों, अत्याधिक महत्वकांक्षाओं, वासनाओं और कट्टरतापूर्ण कृत्यों का ही परिणाम है, कि महिलाओं पर नित नये अपराध एवं अत्याचार आदि हो रहे हैं। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा एवं अत्याचार 21 वीं शताब्दी में समाज की विकराल समस्या है। महिलाओं के प्रति होने वाली किसी भी तरह की प्रताड़ना महिला हिंसा से

सम्बंधित है। मानसिक प्रताड़ना एवं शोषण के अन्तर्गत महिलाओं को ताना मारना, गाली-गलौज करना या अन्य तरह से भावनात्मक ठेस पहुंचाना, मानसिक प्रताड़ना एवं शोषण के अन्तर्गत आता है (राय, 2016)। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा विशेष रूप से यौन शोषण के रूप में देखी जाती है। जिसके फलस्वरूप महिलाओं को अपने जीवन में अनेक प्रकार की नकारात्मक मानसिक और सामाजिक प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ता है। कई वर्षों से महिलाओं को कमजोर और न्यायपूर्ण लिंग के रूप में जाना जाता रहा है। जो समाज में पुरुष वर्चस्व और रूढ़िवादिता को दर्शाता है। वर्तमान समय में सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किये बिना महिलाओं के विरूद्ध हिंसा सम्पूर्ण समाज में व्याप्त है। समाज में प्रदूषित एवं विकृत मानसिकता को उखाड़ फेकना अत्यन्त आवश्यक हो गया है।

भारत के ऐतिहासिक परिदृश्य के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भारत में नारी शक्ति का समाज में पवित्र स्थान रहा है। भारतीय वेदों एवं पुराणों में महिला कों प्रकृति की देवी के तरह (शक्ति को सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा) आदि के नाम से व्याख्या मिली है। महिलाओं की वर्तमान स्थिति में कितना परिवर्तन आया? और आम महिलाओं ने परिवर्तन को किस तरह से देखा? महिलाओं के प्रति हिंसा के बढ़ते प्रतिशत को देखा जाये। यहां एक ही प्रश्न मन में आता है कि मानवीय समाज की सोच को किस तरह परिवर्तित किया जाये (सिंह, 2018)। मानवीय अधिकार सामाजिक जीवन के उस पर्यावरण से है, जिसमें कोई भी मानव अपने सर्वोत्तम जीवन की इच्छा रखता है (हैराल्ड जे० लास्की)।

विश्व जनगणना 2011 के सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि विश्व की आधी से अधिक संख्या महिलाओं की ही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का यह सर्वेक्षण है, कि लगभग 1 से 5 महिलाएं अपने जीवनकाल में एक ही समय पर शारीरिक, मानसिक और यौन उत्पीड़न का शिकार होती हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एन०सी०आर०बी०) के राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध महिला के खिलाफ अपराध के आंकड़े बताते हैं, कि भारत के कई हिस्सों में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों का स्तर बहुत अधिक है। जिसमें बलात्कार, अपहरण, दहेज मृत्यु, शारीरिक और मानसिक तनाव, छेड़छाड़, यौन शोषण और तस्करी आदि शामिल हैं। अमेरिकन ब्यूरो ऑफ जस्टिस स्टेटिस्टिक्स (बीजेएस) के सन् 2003-12 के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में हो रहे कुल अपराधों का 21 प्रतिशत हिस्सा घरेलू हिंसाओं का है। (मुंबई, 2000), में महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए बने एक संगठन के शोध अध्ययन से ज्ञात हुआ है, कि हिंसा के कारण विशेष संगठन से मदद लेने वाली केवल 33 प्रतिशत महिलाओं ने हिंसा के खिलाफ पुलिस को मदद के लिए मंजूरी दी थी। हालांकि यहां पिछले 2 दशकों में घरेलू हिंसा के मामलों में कमी आई है, वहीं सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (सीडीसी) के अनुसार प्रत्येक 2 में से 1 महिला ने अपने जीवनभर में कम से कम एक बार यौन हिंसा (बलात्कार इस आंकड़े में शामिल नहीं) का अनुभव किया होता है। भारत के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार यहां हर 3 मिनट में किसी न किसी महिला के खिलाफ अपराध होता है।

महिलाओं को सशक्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 1(3) और 8 के अन्तर्गत विश्व में महिलाओं के साथ भेदभाव, अन्याय या हिंसा को खत्म कर उनकी प्रगति के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए गये हैं। जिससे वे न केवल राष्ट्र बल्कि समाज के उत्थान एवं विश्व शांति में अपनी अग्रज भूमिका निभा सके। संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं को सम्मानीय स्थान देने के लिए वर्ष 1975 को 'विश्व महिला वर्ष घोषित तथा 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मानने की घोषणा भी की तथा दुनिया भर में होने वाले

माहिलाओं के प्रति हिंसा, अत्याचार और शोषण की गम्भीर चिन्ता को लेकर 25 नवम्बर को वर्ष 2000 से विश्व स्तर पर अंतराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाने का निर्णय लिया। यह दिवस लोकतान्त्रिक भारत में भी महिलाओं को संवैधानिक तथा कानूनी सुरक्षा प्रदान करने से सम्बन्धित जनवरी, 1992 में एक संवैधानिक संस्था के रूप में भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग का निर्माण किया गया। अमेरिकी सरकार इस समस्या से निपटने के लिए 'नेशनल डोमेस्टिक वायोलेंस हॉटलाइन' हेल्पलाइन के द्वारा घरेलू हिंसा के शिकार महिलाओं के लिए हर समय उपलब्ध रहती है। विश्व स्तर पर महिला हिंसा से संबंधित आंकड़ों की तुलना करें तो भारत यहां भी अग्रणी है। इसके कुछ भयावह रूप सिर्फ भारत व कुछ अन्य तीसरी दुनिया के देशों में देखने को मिलते हैं।

भारत में महिलाओं पर हुए एसिड अटैक, ऑनर किलिंग, मानव तस्करी एवं भ्रूण हत्या जैसे घटनाएं कुछ वर्षों में सुर्खियों में रही हैं। जिसमें राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व झारखंड जैसे राज्यों में ये घटनाऐं सर्वाधिक रूप से प्रकाश में आयी। इसके लिए भारत सरकार ने 'प्री-कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1944 (जन्म से पूर्व लिंग निर्धारण को रोकने के लिए), डोमेस्टिक वायोलेंस एक्ट 2005 (महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा रोकने हेतु) व इम्मोरल ट्रैफिकिंग (प्रिवेंशन) एक्ट (मानव तस्करी रोकने हेतु) मुख्य कानूनों का निर्माण किया है।महिलाओं की दयनीय दशा तथा उपभोग की वस्तु के कारण ही उन पर लगातार शोषण, हिंसा एवं अत्याचार किये जाते रहे है। महिलाओं का अशिक्षित होना, अधिकारों के प्रति जागरूक न होना तथा स्वावलम्बी न होना ही इस हिंसा के प्रमुख कारण है (खाँ, 2017)। विश्व स्तरीय एवं भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए समता, समानता के अधिकार के साथ मौलिक स्वतंत्रता को निर्धारित किया। लिंग के आधार होने वाले भेदभाव. घरेलू हिंसा एवं शोषण को रोकने के लिए विभिन्न अधिनियमों का निर्धारण किया गया लेकिन आज भी महिलाओं के साथ लगातार विभिन्न स्तर पर भेदभाव एवं शोषण किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 51 (1) में लिखित मौलिक कर्तव्यों के आधार पर महिलाओं के सम्मान, समानता का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। मानव अधिकार को बिना किसी भेदभाव के समता एवं समानता के आधार पर सर्वैधानिक अधिकार प्रदान किये गये है। वर्तमान में कुछ विशेष वर्ग जैसे अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग एवं महिला वर्ग के लिए सर्वेधानिक रूप से विशेष आरक्षण प्रदान किया गया है।

भारत सरकार की इन पहलों ने महिलाओं की दशा एवं दिशा में सुधार तथा उनकों बेहतर जीवन प्रदान करने का कार्य किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी जी ने महिला जागृति योजना, समन्वित महिला विकास योजना, किशोरियों हेतु योजना, महिला समृद्धि योजना, जवाहर रोजगार योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, अपनी बेटी अपना धन योजना, कुवंर वाइनु मारेरू योजना एवं कामधेनु योजना आदि को निर्धारण कर भारतीय महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु महत्वपूर्ण कार्य किया। साथ ही साथ हमारे समाज को और अधिक शांति व संयम का परिचय देना होगा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 'महिलाओं के खिलाफ हिंसा अपरिहार्य नहीं है व इसकी रोकथाम संभव है (रायजादा, 2020)।

संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन :-

जैन, (2018) ने अपने शोध में घरेलू हिंसा एवं महिला मानव अधिकारः गुना शहर की महिलाओं के संदर्भ में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन किया है। अध्ययन के निष्कर्षों से ज्ञात हुआ कि अधिकांश महिलाएं यह मानती हैं, कि अशिक्षित होना और लिंग भेदभाव का होना महिलाओं पर होने वाली घरेलू हिंसा के लिए प्रमुख कारण है। विसेन्ट एवं अन्य (2019) ने 'क्राइम अगेंस्ट वुमन इन इण्डियाः अनवैलिंग स्पाटिअल पैटर्न एण्ड टैम्पोरल ट्रेन्ड्स ऑफ डाउरी डेथ्स इन द् डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश' के अध्ययन में स्पष्ट किया कि भारत में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। पूर्व में किये गए अध्ययनों के निष्कर्षों के आधार पर कहा जा सकता है कि महिलाओं के खिलाफ लगातार हो रही हिंसा के मामलों में कोई कमी नहीं आई है। (रायजादा, 2020) के लेख से स्पष्ट होता है कि महिला हिंसा एवं महिलाओं की अस्मिता से सम्बन्धित कानून अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में पूर्ण असफल रहे हैं, परंतु जिस प्रकार समय के साथ महिला हिंसा के नए-नए आयाम उभरकर सामने आ रहे हैं, उसी के अनुसार हमें अपने कानूनों, पुलिस व न्यायपालिका को सक्षम बनाना होगा अन्यथा हम इन मानवता के शत्रुओं के खिलाफ जंग नहीं जीत पाएंगे।

शोध उद्देश्य :-

सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर महिला के प्रति हिंसा एवं संवैधानिक अधिकारों का अध्ययन करना।

शोध परिकल्पना:-

महिलाओं के प्रति हिंसा एवं संवैधानिक अधिकारों का सामाजिक आर्थिक स्तर के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

शोध प्रविधि :-

प्रस्तुत शोध वर्णनात्मक (सर्वेक्षण) शोध प्रविधि पर आधारित है।

अध्ययन का क्षेत्र एवं जनसंख्या :-

शोध अध्ययन का कार्य क्षेत्र उत्तराखंड राज्य के श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल से सम्बन्धित है। 2011 की जनगणना के अनुसार श्रीनगर की कुल जनसंख्या 20,115 (10,751 पुरुष एवं 9,364 महिलाएं) है।

न्यादर्श विधि एवं न्यादर्श :-

दैव निदर्शन की सुविधात्मक विधि के आधार पर शोधकर्ता ने वार्ड संख्या 5 से 500 परिवारों में से उद्देश्यपूर्ण विधि द्वारा 100 परिवारों में से यादृच्छिक विधि द्वारा 150 महिलाओं का चयन किया गया।

आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या :-

तालिका संख्या 1.0 सामाजिक आर्थिक स्तर के आधार पर महिलाओं हिंसा एवं अधिकार।

Years	Mean	ANOVA	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
18 to 23 years	44.44	Between Groups	245.770	3	81.923	5.218	.002
23 to 28 years	40.49	Within Groups	1569.989	100	15.700		
28 to 33	41.88	Total	1815.760	103			
33 aboove	39.33						
Cast	**Mean**	**ANOVA**	**Sum of Squares**	**df**	**Mean Square**	**F**	**Sig.**
GENRAL	41.25	Between Groups	21.447	3	7.149	.398	.754

International Research Journal
IJNRD
Research Through Innovation

OBC	41.52	Within Groups	1794.313	100	17.943		
SC	42.00	Total	1815.760	103			
ST	40.18						
Marital Status	**Mean**	**ANOVA**	**Sum of Squares**	**df**	**Mean Square**	**F**	**Sig.**
Married	39.88	Between Groups	126.462	2	63.231		
Unmarried	42.06	Within Groups	1689.298	101	16.726	3.780	.026
		Total	1815.760	103			
Religion	**Mean**	**ANOVA**	**Sum of Squares**	**df**	**Mean Square**	**F**	**Sig.**
Hindu	41.57	Between Groups	138.188	3	46.063		
Nuslims	40.23	Within Groups	1677.572	100	16.776	2.746	.047
Siksh	47.00	Total	1815.760	103			
Crichan	36.00						
Education	**Mean**	**ANOVA**	**Sum of Squares**	**df**	**Mean Square**	**F**	**Sig.**
10 TO UG	42.80	Between Groups	31.688	2	15.844		
UG TO UP	41.49	Within Groups	1784.072	101	17.664	.897	.411
Above PG	40.93	Total	1815.760	103			
Family Status	**Mean**	**ANOVA**	**Sum of Squares**	**df**	**Mean Square**	**F**	**Sig.**
Nuclier	40.90	Between Groups	16.163	1	16.163		
Joint	41.69	Within Groups	1799.596	102	17.643	.916	.341
Total	41.30	Total	1815.760	103			
Self status	**Mean**	**ANOVA**	**Sum of Squares**	**df**	**Mean Square**	**F**	**Sig.**
Students	42.36	Between Groups	164.478	3	54.826		
Private job	39.29	Within Groups	1651.282	100	16.513	3.320	.023
Government job	39.78	Total	1815.760	103			
House wife	40.60						
Family Ocqupation	**Mean**	**ANOVA**	**Sum of Squares**	**df**	**Mean Square**	**F**	**Sig.**
Agricalture	41.69	Between Groups	44.794	3	14.931	.843	.473
Private job	39.79	Within Groups	1770.966	100	17.710		
Government job	41.70	Total	1815.760	103			
Bussness	41.00						
family income	**Mean**	**ANOVA**	**Sum of Squares**	**df**	**Mean Square**	**F**	**Sig.**
1-10000	41.80	Between Groups	162.905	3	54.302		
10001 TO 20000	39.62	Within Groups	1652.855	100	16.529	3.285	.024
20001TO 30000	43.50	Total	1815.760	103			
Above 30000	40.76						
Earning persons	**Mean**	**ANOVA**	**Sum of Squares**	**df**	**Mean Square**	**F**	**Sig.**
One person	41.34	Between Groups	5.618	3	1.873		
Two person	41.39	Within Groups	1810.142	100	18.101	.103	.958
Three person	40.60	Total	1815.760	103			
More then four	41.50						

तालिका संख्या 1.0 से स्पष्ट होता है विभिन्न आयु वाली महिलाओं से महिलाओं के प्रति हिंसा एवं संवैधानिक अधिकारों की जागरूकता से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर प्रसरण विश्लेषण का प्रयोग किया गया। प्राप्त एफ मान (प्रसरण विश्लेषण) के आधार निर्धारित परिकल्पना सार्थक सिद्ध होती है। निष्कर्ष के आधार पर कहा जा सकता है कि महिलाओं की विभिन्न आयु के आधार पर महिलाओं के प्रति हिंसा एवं संवैधानिक अधिकारों की जागरूकता में अन्तर है।

विभिन्न वर्ग वाली महिलाओं से महिलाओं के प्रति हिंसा एवं संवैधानिक अधिकारों की जागरूकता से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर प्राप्त एफ मान (प्रसरण विश्लेषण) के आधार निर्धारित परिकल्पना असार्थक सिद्ध होती है। निष्कर्ष के आधार पर कहा जा सकता है कि महिलाओं के विभिन्न वर्ग के आधार पर महिलाओं के प्रति हिंसा एवं संवैधानिक अधिकारों की जागरूकता में अन्तर नहीं है।

वैवाहिक स्थिति, धर्म, कार्य का प्रकार, परिवारिक आय के आधार पर प्राप्त एफ मान (प्रसरण विश्लेषण) के आधार निर्धारित परिकल्पना सार्थक सिद्ध होती है। निष्कर्ष के आधार पर कहा जा सकता है कि वैवाहिक स्थिति, धर्म, कार्य का प्रकार, परिवारिक आय के आधार महिलाओं में महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा एवं उनके अधिकारों सार्थक अन्तर है।

शिक्षा के स्तर, परिवार के स्तर, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार में कमाने वाले सदस्यों के आधार पर प्राप्त एफ मान (प्रसरण विश्लेषण) के आधार निर्धारित परिकल्पना असार्थक सिद्ध होती है। निष्कर्ष के आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षा के स्तर, परिवार का स्तर, परिवार का व्यवसाय एवं परिवार में कमाने वाले सदस्यों की संख्या के आधार पर महिलाओं में महिलाओं के प्रति हिंसा एवं अधिकारों के प्रति सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

परिणाम :-

प्राप्त प्राप्तांकों के सांख्यिकी परीक्षण के पश्चात् मुख्य परिणाम ज्ञात हुए। जिसमें महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा के प्रति 18 से 23 वर्ष की महिलाओं के मध्यमान के आधार पर अधिक जागरूक पायी गयी हैं तथा महिला अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक हैं। साथ ही मध्यमान के आधार पर अनुसूचित जाति की माहिलाओं में अधिक जागरूक पायी गयी। महिलाएं, अविवाहित महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा एवं उनके अधिकारों के लिए अधिक जागरूक पायी गयी। हाईस्कूल से स्नातक स्तर की महिलाओं में हिंसा एवं अधिकारों को लेकर अधिक जागरूकता है। महिलाओं की वर्तमान स्थिति के आधार पर हिंसा एवं अधिकारों के प्रति दृष्टिकोण में अन्तर पाया गया जिसमें जो महिलाएं शिक्षण कार्य कर रही उनमें अधिक सार्थक दृष्टिकोण है। महिलाओं के परिवारिक आय के आधार पर हिंसा एवं अधिकारों की जागरूकता में अन्तर पाया गया। जिसमें 20000 से लेकर 30000 मासिक आय प्राप्त करने वाले परिवारों की महिलाएं अधिक जागरूक पायी गयी। वहीं परिवार में कमाने वाले सदस्यों की संख्या से हिंसा एवं अधिकारों को कोई अन्तर नहीं दिखाई दिया।

सुझाव :-

सही मायने में देखा जाये तो अन्त्रतराष्ट्रीय महिला दिवस, अंतराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस, विभिन्न महिला हिंसा रोधक संवैधानिक अधिनियम तब ही सार्थक होगे जब विश्व भर में महिलाओं को मानसिक व शारीरिक रूप से संपूर्ण आजादी मिलेगी, जहाँ उन्हें कोई प्रताड़ित नहीं करेगा, जहाँ उन्हें दहेज के लालच में जिन्दा नहीं जलाया जाएगा, जहाँ कन्या भ्रूण हत्या नहीं की जाएगी, जहाँ बलात्कार नहीं किया जाएगा, जहाँ उसे बेचा नहीं जाएगा। समाज के हर महत्वपूर्ण फैसलों में उनके नजरिए को महत्वपूर्ण समझा जाएगा। तात्पर्य यह है कि उन्हें भी पुरूष के समान एक इंसान समझा जाएगा। जहाँ वह सिर उठा कर अपने महिला होने पर गर्व करे, न कि पश्चाताप कि काश मैं एक लड़का होती। सरकारी संस्थाओं एवं

विभिन्न संस्थाओं में कार्य करने वाली महिलाओं को मौलिक एवं संवैधानिक अधिकारों के प्रति अधिक सजग होने की जरूरत है। वास्तव में आधे से अधिक महिलाएं वर्तमान में अपने संवैधानिक अधिकारों एवं उनके प्रति होने वाली हिंसा के प्रति जागरूक नहींहै। पारिवारिक जिम्मेदारीरियों तथा सामाजिक दबाव के प्रति महिलाएं घरेलू हिंसा एवं अत्याचारों को लगातार सहती रहती हैं, महिलाओं को चाहिए कि वे शिक्षा से सजग हो और अपनी सुरक्षा से सम्बन्धित विभिन्न संवैधानिक अधिनियमों का अध्ययन करें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची -

खाँ, आई० ए० (2017). महिला अधिकारः दशा एवं दिशा. रिमार्किंग एन एनालाइसेशन, वॉल्यूम- 2(9). चौधरी, एम० (2020), महिला दिवस का क्या कहता है इतिहास. https://hindi.webdunia.com/womens-day-special/woman-s-day-115030700035 1.html

जयाकुमार, ए०, एवं शिवदास, ए० (2017). इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एप्लाइड बिसनेस एण्ड इकोनॉमिक रिसर्च,

वॉल्यूम-15, पृष्ठ सं०- 327.

जैन एवं अन्य (2018). जर्नल ऑफ एडवांस एण्ड स्कालर्ली रिसर्चस् इन एलाइड एजुकेशन, वॉल्यूम-105(03), पृष्ठ सं०: 166-169.

राय, सरोज (2016). वर्तमान शिक्षा में महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की आवश्यकता. रिव्यू ऑफ रिसर्च इंटरनेशनल ऑनलाइन मल्टीडिसीप्लनेरी जर्नल, वॉल्यूम- 5 (5)ए आई०एस०एस०एन०: 2249.894X. रायजादा, एम० (2020). विश्व में महिलाओं के विरुद्ध बढ़ती हिंसा. https://hindi.webdunia.com/nri-article/domestic-violence-114112600016_2.html

विसेन्ट, जी० एवं अन्य (2020). क्राइम अगेंस्ट वुमन इन इण्डियाः अनवैलिंग स्पाटिअल पैटर्न एण्ड टैम्पोरल ट्रेन्ड्स ऑफ डाउरी डेथ्स इन द् डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश. जर्नल ऑफ द रॉयल स्टेटिकल सोसाइटी, वॉल्यूम- 183(2), पृष्ठ सं०: 655-679.

वॉयलेन्स अगेंस्ट वुमन इन इण्डिया. इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वुमन (आई०सी०आर०डब्ल्यू०) फॉर यूएनएफपीए, अप्रैल, 2004.

शर्मा, आर०, एवं मिश्रा, एम०के० (2012). भारतीय समाज में कार्यशील महिलाएं. नई दिल्लीः अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, पृष्ठ सं०: 5-6.

शियोकंड, यू० (2017). इंटरनेशनल जर्नल इन मैनेजमेंट एण्ड सोशल साइंसेस, वॉल्यूम- 5(7), पृष्ठ सं०: 218-223.

श्रीवास्तव, पी० (2015). भारतीय महिलाएं परिवर्तन के दौर में. नई दिल्लीः अमेजिंग पब्लिकेशन, पृष्ठ सं०ः 176-178.

सिंह, एन० (2018). महिला सशक्तिकरण एवं नयी पीढ़ी. पेरीपैक्स- इंडियन जर्नल ऑफ रिसर्च, वॉल्यूम - 7(4)

आई.एस.एस.एन.: 2250.1991.

हैराल्ड, जे. लास्की ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स.